

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा , राजस्थान जयपुर
वित्त भवन , ए-ब्लॉक , ज्योति नगर जनपथ , जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 , फ़ैक्स 0141-2742309 ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-650 / 2023) / अलेसे-III / 2009

दिनांक:- 10/03/2026

कार्यालय आदेश

श्री सुरेश कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं.774517) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, रानी (पाली) के पत्र क्रमांक 715 दिनांक 02.05.2025 के द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर एवं वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर की डायरी संख्या 252600049 दिनांक 18.02.2026 द्वारा प्राप्त सहमति के उपरांत राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 16.04.2025 से 27.04.2025 एवं

दिनांक 05.05.2025 से 18.06.2025 तक (कुल 57 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री सुरेश कुमार, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। स्वीकृत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार अभिवृद्धि की जाएगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-650 / 2023) / अलेसे-III / 2009

दिनांक:- 10/03/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, रानी (पाली)।
- 2 वरिष्ठ निजि सचिव निदेशक महोदया।
- 3 संयुक्त निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
- 4 श्री सुरेश कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं.774517) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, रानी (पाली)।
- 5 रक्षित / निजिपत्रावली।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)
Signature valid

Digitally signed by Seena Kaushal

Designation: Joint Director

Date: 2026.03.09 12:53:22 IST

Reason: Approved



राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा , राजस्थान जयपुर
वित्त भवन ,ए-ब्लॉक , ज्योति नगर जनपथ , जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 , फ़ैक्स 0141-2742309 ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-650 / 2023) / अलेसे-III / 2010

दिनांक:- 10/03/2026

कार्यालय आदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं.742043) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड उदयपुर के पत्र दिनांक 25.06.2025 के द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर एवं वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर की डायरी संख्या 252600049 दिनांक 18.02.2026 द्वारा प्राप्त सहमति के उपरांत राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 28.04.2025 से 20.06.2025 (कुल 54 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री सुरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। स्वीकृत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार अभिवृद्धि की जाएगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-650 / 2023) / अलेसे-III / 2010

दिनांक:- 10/03/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड उदयपुर।
- 2 वरिष्ठ निजि सचिव निदेशक महोदया।
- 3 संयुक्त निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
- 4 श्री सुरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं.742043) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय खनि अभियन्ता, खण्ड उदयपुर।
- 5 रक्षित / निजिपत्रावली।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

Signature valid

Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2026.03.09 12:50:55 IST
Reason: Approved

